

20.01.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी खारिज कर दिया गया। इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2020 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तार हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ